UPMP040069242026

न्यायालय C.J.M., Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (VIMLESH SAROJ) **- उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02379**

Criminal Misc. Cases/1004/2026

उत्तर प्रदेश सरकार बनाम रानू

दिनांक 09.04.2026

अभियुक्त रानू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 126/2026 अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. थाना करहल जिला मैनपुरी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर बल देते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपराध जमानती है। अतः जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा अभियोजन अधिकारी की आख्या का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार अपराध गंभीर व अजमानतीय है। जमानत का विरोध है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त द्वारा मुव. 25,000/–रूपए का व्यक्तिगत बंध–पत्र तथा इसी राशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

(विमलेश सरोज)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
JO Code–UP 02379

आशीष प्रजापति,
पी.ए

VIMLESH SAROJ

Digitally signed by VIMLESH SAROJ
Date: 2026.04.09 16:28:04 +0530